Speed Post

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अन्तर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय)

F.N. MP/5/2016/STGMP/SEOTM/RU-III

छठा तल, लोकनायक भवन,
नई दिल्ली–110003
दिनांकः 25.10.2016

सेवा में,

1. मुख्य सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
भोपाल

2. प्रमुख सचिव,
पुनर्वास विभा,
मध्य प्रदेश शासन,
भोपाल

3. प्रमुख सचिव,
अनुसूचित जनजाति विकास विभाग,
मध्य प्रदेश शासन, भोपाल

4. श्री रजनीश वैश्य,
उपाध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव,
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण

5 जिला कलेक्टर,
आलीराजपुर,
मध्य प्रदेश

6. जिला कलेक्टर,
धार,
मध्य प्रदेश

7. जिला कलेक्टर,
बड़वानी,
मध्य प्रदेश

विषयः डा. रामेश्वर उरॉव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के दिनांक 25.09.2016 से 28.09.2016 तक इंदौर, धार, आलीराजपुर तथा बड़वानी (मध्य प्रदेश) दौर की रिपोर्ट के संबंध में।

मुझे उपरोक्त विषय पर डा. रामेश्वर उरॉव, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, के दिनांक 25.09.2016 से 28.09.2016 तक इंदौरा, धार आलीराजपुर तथा बड़वानी (मध्य प्रदेश) जिलों के दौरे एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से साथ की गई बैठक के कार्यवृत्त की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर आपको भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि प्रकरण में अनुपालन रिपोर्ट आयोग को भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीया,
के० डी० बंसौर

(के.डी. बंसौर)श्रीमती

निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा–आशिष, नवलपुरा, बड़वानी, मध्य प्रदेश–451551, दूरभाष सं. 07290–291464,291938,
2. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीयन अनुसूचित जनजाति आयोग, कमरा नम्बर 309, निर्माण सदन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल.462011(म.प्र.)
3. ~~एसएसएएनआईसी,~~

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

क्रमांक MP/5/2016/STGMP/SEOTH/RU-III

दिनांक 25.10.2016

डा. रामेश्वर उराँव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, के दिनांक 25–9–2016 से 28–9–2016 तक इंदौर, धार आलीराजपुर तथा बड़वानी (मध्य प्रदेश) दौरे की रिपोर्ट।

1.0 डा. रामेश्वर उराँव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ने इंदौर, धार आलीराजपुर तथा बड़वानी (मध्य प्रदेश) का दौरा किया। दौरे में उनके साथ श्रीमती के.डी. बंसोर, निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में पदस्थ सुश्री दीपिका खन्ना, अनुसंधान अधिकारी, तथा श्री प्रकाश पाटिल गए । साथ ही श्री जी.एस. नेताम, अपर आयुक्त, आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, भोपाल ने दिनांक 25–9–2016 से 28–9–2016 तक इंदौर, धार आलीराजपुर तथा बड़वानी (मध्य प्रदेश) का दौरा किया। आयोग ने धार, आलीराजपुर तथा बड़वानी में सरदार सरोवर बाँध की डूब क्षेत्र से प्रभावित हुए अनुसूचित जनजातियों के विस्थापन, भूमि अधिग्रहण एवं राहत तथा पुनर्वास से प्रभावित/विस्थापित परिवारों की वर्तमान जीवन स्थिति को देखना था ।

2.0 आयोग के दौरे का विषयः–

31 अगस्त 2016 को सुश्री मेधा पाटकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा आयोग को पत्र भेजा । जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि विगत 31 वर्षों से न्याय के लिए लड़ते आ रहे सरदार सरोवर बांध के डूब प्रभावित आदिवासियों की समस्याओं के बारे में आयोग को अवगत कराया। आलीराजपुर, बड़वानी, धार और खरगौन जिलों में बसे अनुसूचित जनजाति को आजतक पूर्ण रूप से पुनर्स्थापित नहीं किया गया है तथा इन परिवारों की जीवन स्थिति जहां की तहां बनी हुई है। पत्र के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:–

- मध्य प्रदेश में मात्र 50 परिवारों को आज तक भूमि दी गई है।
- नर्मदा जल विवाद अवार्ड (एनडब्ल्यूएल अवार्ड) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति के घर, खेत बिना पुर्नवास डुबाये गये।
- डूब क्षेत्र में आज भी 40,000 से 50,000 परिवार निवासित हैं।
- 1993 से शुरू करते हुए 2004 तक मध्य प्रदेश में भूमि अधिग्रहण हुआ, जिसका उन्हें मुआवजा कई वर्षों बाद मिला।

रामेश्वर उराँव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

- 18 साल की उम्र के वयस्क पुत्रों को भू–अधिग्रहण के समय अवयस्क मानते हुए भूमि से वंचित होना पड़ा। उन्हें वर्ष 2013 के नये भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 24.2 के तहत मालिकाना हक मिले।
- माननीय न्यायालय झा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1589 फर्जी विक्रय पत्र पाये गये।
- इस रिपोर्ट के अनुसार पुनर्वास स्थलों पर भ्रष्टाचार हुआ है जिसके लिए अधिकारी एवं दलाल दोषी हैं। किन्तु मध्य प्रदेश शासन आयोग की रिपोर्ट के विरूद्ध क्रेता–विक्रेता एवं दलालों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने जा रहा है।

डॉ.रामेश्वर उरॉव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पुनर्वासित गांव अवल्दा जिला बड़वानी का दौरा करते हुए

3.0 सरदार सरोवर परियोजना का उद्देश्य तथा मूल समस्या की उत्पत्ति :

सरदार सरोवर परियोजना मूलतः मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान राज्य की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। जिसके अंतर्गत नर्मदा नदी पर, गुजरात राज्य के भरूच जिले के ग्राम वड़गाम में 138.68 मीटर (455 फिट) ऊँचा बांध बनाया जा रहा है। नर्मदा नदी पर 30 बड़े बांध बनाये जा रहे हैं, जिसमें सरदार सरोवर

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परियोजना एक है। यह परियोजना आधुनिक भारत की एक महत्वपूर्ण परियोजना मानी जाती है। इस परियोजना की संकल्पना 1946 में की गई थी। 1961 में इसकी नींव रखी गई थी। इस परियोजना की शुरूआत से ही चार राज्यों की बीच (म.प्र., महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान) विवाद रहा। जिसके कारण 1969 में नर्मदा जल विवाद न्यायधिकरण का गठन हुआ। इस न्यायधिकरण ने बांध से विस्थापित होने वाले परिवारों के लिए सिंचित और अति उपजाऊ जमीन, घर–प्लॉट, मूलभूत सुविधाओं युक्त पुनर्वास स्थल तथा जीविकोर्पाजन हेतु वैकल्पिक रोजगार के साधन हेतु नीति व योजना भी बनाई थी।

इस बांध से बड़े पैमाने पर सामाजिक, मानवीय व पर्यावरणीय प्रभावों के आंकलन व निगरानी हेतु नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना भी की गई। इस संदर्भ में नर्मदा जल न्यायधिकरण अवार्ड धारा IV (6) (ii), (7), IV (2) (iii) (V) विस्थापितों के पुनर्वास हेतु मापदण्ड दिये गये हैं।

इस परियोजना से 1450 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा एवं उत्पादित विद्युत की 56 प्रतिशत बिजली म.प्र को प्राप्त होगी और महाराष्ट्र को 27 प्रतिशत प्राप्त होगी। परियोजना से गुजरात एवं राजस्थान को सिंचाई एवं अन्य कार्य हेतु जल उपलब्ध कराया जायेगा, परन्तु म.प्र. एवं महाराष्ट्र को परियोजना से सिंचाई एवं कार्य हेतु पानी नहीं मिलेगा।

3.2 परियोजना संबंधी सांख्यिकीः–
(मध्य प्रदेश के संबंध)

सरदार सरोवर परियोजना से मध्य प्रदेश में डूब के प्रभाव के संदर्भ में मूलभूत सांख्यिकी निम्नानुसार हैः–

1. **डूब से प्रभावित भूमि**

निजी भूमि	8246 हे.
वन भूमि	2731 हे.
शासकीय भूमि	16873 हे.
कुल	27850 हे.

2. **विस्थापित परिवारों की संख्या**

121.92 मीटर (वर्तमान ऊंचाई) से 24421 (177 गाँव)
प्रभावित विस्थापित परिवार
138.68 मीटर (द्वितीय चरण) से 38023 (192 गाँव)

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

प्रभावित विस्थापित परिवार

138.68 मीटर (संशोधित बैकवाटर) से प्रभावित विस्थापित परिवार	22077 (176 गाँव) आलीराजपुर–26 गाँव, 2152–अनु.ज.जा. परिवार धार–76 गाँव, 2546–अनु.ज.जा. परिवार बड़वानी–65 गाँव, 4467–अनु.ज.जा. परिवार खरगौन–9 गाँव, 0–अनु.ज.जा. परिवार

3.3 Fact Sheet of Rehabilitation of SSP Oustees in Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat (*As per Report of Independent People's Tribunal of 4 Judges, November 2015)

S. No.	Indicator	Madhya Pradesh	Maharashtra	Gujarat
1.	Total number of villages (245) affected	192 villages + 01 town	33 villages	19 villages
2.	Total land in submergence including 13,385 ha of forest land	20,822 ha	9,590 ha	7,112 ha
3.	Total number of families affected (official figures)	43021 PAFs (reduced to 22701* and **)	4,227 PAFs	4,500 PAFs
4.	Villages affected at 121.92 m height (official figure)	177	33	19
5.	PAFs residing in the submergence area as on today	48,000 families (2,40,000 people)	500 families	200 families
6.	100% Tribal villages	About 70	All 33	All 19

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

7.	Total PAFs entitled to land (official figures)	13,402 (62nd Meet of R&R Sub Group)#	4300 (NCA Annual Report 2014-15)	4765 (NCA Annual Report 2014-15)
8.	PAFs actually given land (includes those with problems in land allotment)	35 PAFs	3,600 PAFs	About 10,500 PAFs of M.P, Gujarat and Maharashtra
9.	PAFs yet to be given land (as admitted by NCA)	2345 PAFs (R&R Sub Group letters and NCA Report 2011 – 2015)	620 PAFs (Affidavits before SC) / 791 PAFs (Joint Survey-July'14)	------
10.	Families yet to be given agricultural land as per entitlement (declared and undeclared) – Assessment of various official records	About 6,000 PAFs	About 1200 to be given 01 or 02 hectares	A few hundred (includes those with less land allotted, bad land and not declared)
11.	Total no. of R&R sites Built	88	10+1 (partial)	238

रामेश्वर ओरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

12.	No. of PAFs shifted to R&R Sites	About 3,500 PAFs	3,600 PAFs + Families yet to declared and given land or declared but not given land.	About 10,500 PAFs of M.P, Gujarat and Maharashtra
13.	Landless oustees (Official figure)	13,289 PAFs [GoMP Affidavit dt. 11/4/2000]	Hundreds treated as landless due to wrong land records in forest villages	No Govt. surveys
14.	Orders passed by GRA (with no details of status of compliance)	About 15,000 (since 2000 – till date)	About 3,000	About 1082 (GoG-GRA Report dt. 21/8/2015)

* 15,946 PAFs are claimed to be unaffected by submergence (GoMP Affidavit dt. 17/4/2015) due to the revised back water levels (BWLs), although their properties have been acquired and partial R&R entitlements have been given.

** 4374 PAFs declared as ineligible by NVDA *vide* letter dt. 29/4/2006. This category includes PAFs who have already been given certain R&R benefits. However, in the subsequent years, GRA has declared a few hundred PAFs as eligible and they have been given R&R benefits.

reduced to 4566 in the subsequent years–this reduction from 13,402 isunexplained in any official records verified by the Tribunal.

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

डॉ.रामेश्वर उरॉव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग डूब में आए हुए गांव ककराना जिला आलीराजपुर के विस्थापितों से वार्तालाप करते हुए।

3.4 परियोजना से जुड़े विवादः—

सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित विस्थापित परिवारों को नियम/प्रावधानों के अनुसार शासन द्वारा पुनःस्थापित नहीं किये जाने के कारण विस्थापितों द्वारा बांध का विरोध किया जा रहा है। **विस्थापितों का यह मानना रहा है कि** नर्मदा जल न्यायाधिकरण अवार्ड एवं राज्य शासन की पुनर्वास नीति व सर्वोच्च अदालत के फैसले के आधार पर विस्थापितों की संपत्ति नहीं डूबायी जा सकती है। साथ ही बांध की ऊँचाई बढ़ाई नहीं जा सकती है। पर्यावरणीय शर्तों व कानून के फैसले के बिना बांध की ऊँचाई नहीं बढ़ सकती है। जब–जब अगली ऊँचाई की मंजूरी दी गई तब–तब विस्थापन और डूब बढ़ती गयी। विस्थापितों की ओर से सशक्त संघर्ष, स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर तक लम्बे अनशन, रैली, धरना, शासन से संवाद जारी रखा गया। आंदोलन ने पर्यावरणीय और पुनर्वास संबधित अपने सुझावों के साथ कई रिपोर्टें प्रकाशित की। पिछले कई सालों में विभिन्न जांच दलों ने नर्मदा घाटी में आकर जमीन की हकीकत का जायजा लिया तथा तटस्थ रिपोर्टें प्रस्तुत की। संघर्ष के चलते 1993 में केन्द्र सरकार के पांच सदस्यों के विशेष दल ने भी रिपोर्ट पेश की जिसमें विवाद के कई मुद्दों को सम्मिलित किया गया था। विश्व बैंक ने भी 1990–91 में इस परियोजना को पूरी करने के लिए स्वतंत्र आयोग का गठन किया। विविध विशेषज्ञों वाले इस

रामेश्वर ओरांव
डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आयोग की अध्यक्ष युएनडीपी के श्री एफ. ब्रेडफोर्ड मोर्स को बनाया गया था। आयोग की रिपोर्ट के बाद विश्व बैंक ने परियोजना के लिए स्वीकृत वित्तीय सहायता रोक दी थी। विस्थापितों द्वारा उठाये गए विवाद से जुडे मुद्दे आज भी कायम हैं।

3.5 विस्थापितों को वैकल्पिक भूमि के बदले नगद भुगतान किए जाने से उत्पन्न समस्याः–

नर्मदा जल न्यायाधीन अवार्ड एवं मध्य प्रदेश की पुनर्वास नीति में यह प्रावधान है कि जिस विस्थापित परिवार की 25 प्रतिशत से अधिक भूमि डूब प्रभावित होने के आधार पर अर्जित की गई है, उसे अर्जित भूमि के समतुल्य रकबे की वैकल्पिक भूमि जिसकी न्यूनतम सीमा 2.00 हे. एवं अधिकतम सीमा 8.00 हे. होगी, सशुल्क एवं निर्धारित शर्तों के अधीन प्राप्त करने की पात्रता होगी। मध्यप्रदेश की पुनर्वास नीति में वैकल्पिक भूमि, घर–प्लॉट एवं पुनर्वास व आजीविका अनुदान, कानूनन, सभी विस्थापितों को देने का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के हर फैसले ने इन प्रावधानों को पूर्ण क्रियान्वयन करने का आदेश दिया है। इन प्रावधानों की व्याख्या पुनर्वास नीति व कार्य योजना या एक्शन प्लॉन 1993 में दी गई है। इन प्रावधानों के अनुसार हर विस्थापित खातेदार, सहखातेदार विस्थापित परिवार को वैकल्पिक 5 एकड सिंचित कृषि भूमि आवंटित करने का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के 15/3/2005 के आदेश अनुसार विस्थापित वयस्क पुत्रों को भी वैकल्पिक कृषि भूमि की पात्रता दी गई। इसके फलस्वरूप, विस्थापितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है जिन्हें कृषि भूमि के साथ–साथ पुनर्वासित करना राज्य की कानूनी जिम्मेदारी है। वैकल्पिक भूमि आंवटन हेतु म.प्र. द्वारा ग्रामों में चरनोई रकबा कम करते हुए लगभग 5000 हेक्टर क्षेत्रफल शासकीय भूमि का एक लैण्ड–बैंक बनाया गया। बहुतांश जमीन कृषि के लिए अयोग्य, अनउपजाऊ व पहाड़ी–पथरीली है। जो कृषि योग्य जमीन है वह अतिक्रमित होने के कारण विस्थापितों को प्राप्त नहीं हुई। कुछ लैण्ड–बैंक की जमीन उपजाऊ थी, वहां पीने का पानी व खेती–सिंचाई के अन्य साधन बनाने पर विस्थापितों ने जमीन स्वीकार कर ली है और अपना जीवनयापन कर रहे हैं।

3.5.1 म.प्र. शासन ने जमीन उपलब्ध न होने का कारण देकर विशेष पुनर्वास अनुदान की योजना बनायीः–

इस योजना में विस्थापितों से जमीन का हक छोडने के बाद उन्हें जमीन के बदले नगद राशि देना प्रारंभ किया। 2005 में इस योजना के तहत 5 एकड़ जमीन के बदले 5.58 लाख रू. देना प्रस्तावित किया जो आज तक जारी है। इसके अंतर्गत 50

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

प्रतिशत राशि प्रथम किश्त के रूप में विस्थापित को देकर जमीन का अधिकार छोड़ने का शपथ–पत्र लेकर उस पैसे से, 5 एकड़ सिंचित जमीन खरीदने की अपेक्षा की जाती है। 5 एकड सिंचित जमीन खरीदने का विक्रय पत्र प्रस्तुत करने के बाद दूसरी किश्त की राशि विस्थापित को दी जाती है। 2.79 लाख रू में 5 लाख 58 हजार मूल्य की 5 एकड जमीन न खरीद पाने की मजबूरी का लाभ लेकर कुछ व्यक्तियों ने दलाल बन कर विस्थापितों को फंसाया जिससें बडे पैमाने पर फर्जी विक्रय पत्र बनाए गए। म.प्र. शासन की तरफ से 2009 में 686 विक्रय पत्र फर्जी होना मंजूर किया गया था जिसकी संख्या बढ़ माननीय न्यायाधीश झा आयोग की रिपोर्ट आने के बाद 1,589 हो गई है।

3.5.1.1 सन् 2006 में तीन केन्द्रीय मंत्रियों के एक दल द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया और विस्थापितों की सुनवाई के बाद इस दल ने विशेष पुनर्वास अनुदान को तत्काल बंद करने की सिफारिश की थी। सन् 2007 में सुश्री मीरा कुमार, मा. पूर्व मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्रालय और पुनर्वास उपदल के अध्यक्ष ने मध्यप्रदेश को निर्देशित किया कि विशेष पुनर्वास अनुदान के कारण संपन्न फर्जी विक्रय में सबसे अधिक मात्रा में अनुसूचित जनजाति के विस्थापित प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके जमीन का हक कानूनी रूप से सुनिश्चित किया जाए।

3.5.1.2 करीबन 1500 परिवार विशेष पुनर्वास अनुदान की प्रथम किश्त लेने के बाद जमीन नहीं खरीद पाए। शासन उन्हें जमीन खरीदवाने की प्रक्रिया में सहयोग की जगह दबाव बना कर उन्हें द्वितीय किश्त का पैसा लेने को मजबूर कर रहा है तथा सर्वोच्च न्यायालय की मंशा के खिलाफ बिना जमीन खरीदे ही नगद पैसे के आधार पर पुनर्वास होना बता रही है, परन्तु नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने अपनी सन् 2012–13 की वार्षिक रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि जिन्हें विशेष पुनर्वास अनुदान की प्रथम किश्त के बाद भी जमीन की पात्रता बनती है उन्हें जमीन देना चाहिए।

3.5.1.3 महाराष्ट्र तथा गुजरात सरकार ने जमीन के बदले जमीन देने की प्रक्रिया चालू रखी। मध्यप्रदेश की राज्य पुनर्वास नीति की धारा 5.1 के अनुसार यदि कोई अनुसूचित जनजाति का विस्थापित परिवार, जमीन के बदले नगद राशि के भुगतान की मांग करेगा तो उसके आवेदन पर कलेक्टर से आदेश प्राप्त करना आवश्यक होगा। कलेक्टर उचित जांच के पश्चात यह प्रमाणित करेंगे की मुआवजे की पूरी राशि एक मुश्त प्रदान किये जाने और जमीन के बदले जमीन न चाहने से संबंधित आवेदन उक्त परिवारों के हितों के विपरित नहीं है। कलेक्टर द्वारा इस प्रकार का प्रमाणीकरण किये जाने के पश्चात ही अनुसूचित जनजाति विस्थापित परिवारों के ऐसे आवेदन पत्र मान्य किये जाएंगे।

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3.5.2 विस्थापितों द्वारा निरंतर यह मांग की जा रही है कि उनको अनिवार्यतः भूमि ही दी जावे एवं आवंटित भूमि उसके पसंद अनुसार हो तथा भूमि अतिक्रमण मुक्त एवं सिचिंत कृषि भूमि ही दी जाए, जिसके लिये शासन वैकल्पिक भूमि आवंटन हेतु निजी भूमि क्रय कर उपलब्ध कराये। विस्थापित परिवारों में से अब तक 52 परिवारों की लैंडबैंक में से उनकी पसंद की भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है तथा 186 परिवारों को एक तरफा भूमि आवंटित की गई है। इस प्रावधान के सरलीकरण करते हुए भूमि के बदले नगद राशि चाहने वाले परिवारों को अब द्वितीय किश्त की राशि प्राप्त करने हेतु रजिस्ट्री प्राप्त करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

3.6 आवासीय भूखण्डों का नगदीकरण किए जाने से उत्पन्न समस्याः—

पुनर्वास प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक विस्थापित परिवार के मुखिया को वयस्क पुत्र को तथा अविवाहित वयस्क पुत्री को 60'×90' के विकसित आवासीय भूखण्ड निशुल्क आवंटन पाने की पात्रता है। मध्य प्रदेश में इस प्रयोजन हेतु कुल 88 पुनर्वास स्थलों में 26487 भूखण्ड विकसित किये गये है। इसके अतिरिक्त यदि कोई विस्थापित परिवार विशेषकर वयस्क पुत्र अविवाहित वयस्क पुत्री आवासीय भूखण्ड के बदले नगद राशि चाहती है तो उसे रू. 50000/— दिये जाने का प्रावधान है। विस्थापितों द्वारा आवासीय नगद राशि दिये जाने संबंध प्रावधान का विरोध किया जा रहा है। इसी प्रकार नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा विस्थापित परिवारों को दिये जाने वाले पुनर्वास के अन्य लाभ जैसे पुनर्वास अनुदान उत्पादक परिसंपत्ति अनुदान आदि के वितरण पर भी आपत्ति उठाई गई है।

3.7 डूब क्षेत्र में विस्थापित परिवारों के पुनर्वास कार्य के स्तरीय न होने के कारण उत्पन्न समस्याः—

सरदार सरोवर परियोजना की वर्तमान बांध ऊंचाई 121.92 मी. तक मध्य प्रदेश में स्थायी डूब का अत्यन्त कम क्षेत्र में प्रभाव उत्पन्न हुआ है। अतः बड़ी संख्या में प्रभावित परिवार पुनर्वास के पूर्णतः/अंशतः लाभ लेने के बाबजूद डूब क्षेत्र में पूर्ववत निवासरत होकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। NWDT अवार्ड में भी यह प्रावधान है कि शासन द्वारा संभावित डूब के 6 माह पूर्व डूब क्षेत्र रिक्त करने हेतु एक अधिसूचना जारी की जावेगी। इस अधिसूचना जारी होने के पूर्व प्रभावित परिवार अपनी डूब संपत्ति का उपभोग कर सकेगें। किंतु एक ओर जमीन के बदले जमीन न मिलने के कारण, नगद राशि के भुगतान के बावजूद 5 एकड़ जमीन न खरीद पाना तथा सभी 88 पुनर्वास स्थलों में रहने लायक पूरी सुविधाएँ न होने के कारण बडी संख्या में प्रभावित परिवार अपने मूलगांव में ही निवासरत हैं। नर्मदा जल न्यायाधिकरण अवार्ड व विभिन्न पुनर्वास नीति व कार्य योजना के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों के अनुरूप कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। जबकि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की कार्य योजना 1993 के अध्याय 4 जिसमें पुनर्वास पुनर्बसाहट की बात कही गयी है, इसके अंतर्गत मुख्य सिध्दांत निम्नानुसार हैः—

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

1. राज्य शासन का उद्देश्य है कि सभी विस्थापित परिवारों को पुनर्वास के बाद उनके पहले के जीवन स्तर में सुधार होगा।
2. विस्थापित परिवारों को मूलगांव से पुनर्वास स्थल में कोई परेशानी नहीं आए।
3. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, मध्यम व छोटे किसानों के पुनर्वास के लिए विशेष प्रावधान रखे जायेंगे।
4. पुनर्वास नीति इस तरीके से क्रियांन्वित की जायेगी जिसमें मिडिलमेन और प्रोपोराइटर को बाहर रखा जायेगा।
5. विस्थापितों को पुनर्वास करने से पहले कम से कम उन्हें तीन बार अच्छी वैकल्पिक भूमि दिखा कर उनकी मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।
6. भूमिहीन खेतीहर मजदूर और गैर खेतीहर मजदूर को पुनर्वास के समय शुरूआती अनुदान दिया जायेगा जिससे विस्थापितों को स्वयं तथा दैनिक रोजगार मुहैया करवाने के लिए जीवनयापन और स्थायी जीवका के साधन तथा व्यवयाय के साथ पुनर्वास किया जायेगा।
7. विस्थापित परिवारों को उनके सामाजिक समुदाय के आसपास तथा डूब प्रभावित गांव के आसपास उनकी इच्छा अनुसार पुनर्वास किया जायेगा। उनके पुनर्वास स्थल पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी।

3.8 बैक वाटर पुनरीक्षण से उत्पन्न समस्याः–

NWDT अवार्ड में प्रावधान है कि सरदार सरोवर परियोजना के पूर्ण होने पर उत्पन्न होने वाले अधिकतम बैकवाटर लेवल का आंकलन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना के सहयोगी राज्यों से परामर्श उपरांत निर्धारित किया जायेगा। इस प्रावधान के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष 1989–90 में आंकलित बैकवाटर की ग्राम वार आंकड़े उपलब्ध कराये थे, तदनुसार मध्य प्रदेश में आंकलित बैकवाटर के अंदर स्थित संरचनाओं का अर्जन किया गया एवं विस्थापित परिवार की संख्या, पुनर्वास पात्रता आदि का निर्धारण किया गया। मध्य प्रदेश शासन के अनुसार सरदार सरोवर बांध के ऊपर नर्मदा एवं सहायक नदियों में अनेक बांधों का निर्माण होने के फलस्वरूप वर्ष 2008 में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के निर्देश पर केंद्रीय जल आयोग ने बैकवाटर की पुर्नगणना की, जिसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश के डूब क्षेत्र में कमी आई एवं अनेक परिवार, जिन्हें पूर्व में विस्थापित मान्य किया गया था, अब परियोजना से अप्रभावित परिवारों की श्रेणी में आ गये हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा ऐसे परिवारों से दिये गये कोई लाभ वापस लिये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा बैक वाटर पुनरीक्षण की कार्यवाही को अनुचित बताते हुए पूर्व आंकलन अनुसार प्रभावित परिवारों को भी पुनर्वासित किये जाने की मांग की जा रही है।

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

4.0 न्यायालय के फैसलों की संक्षिप्त व्याख्याः–

सरदार सरोवर परियोजना के संदर्भ में अब तक दायर याचिकाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

4.1 माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष :– नर्मदा बचाओं आंदोलन बनाम भारत शासन एवं अन्य

(i) **WP No. 319/1994**
[2000(10)SCC-664]

नर्मदा बचाओं आंदोलन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत पर्यावरण एवं पुनर्वास संबंधी बिन्दुओं पर वर्ष 1994 में याचिका दायर की गई थी, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1994 में बाँध ऊंचाई 85 मी. पर आगे के निर्माण कार्य पर स्थगन आदेश जारी किया था एवं दिनांक 18–10–2000 को विस्तृत निर्णय पारित किया जिसमें मुख्यतः निम्न निर्देश दिये गयेः–

- सरदार सरोवर बांध का निर्माण एन.डब्लू.डी.टी. अवार्ड के प्रावधानों के अनुसार निरंतर रखा जायेगा।
- बांध की ऊंचाई बढ़ानें की चरणवार अनुमति नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा दी जावेगी।
- बांध के चरणवार निर्माण की अनुमति देने के पूर्ण नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के अंतर्गत सचिव भारत शासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित पुनर्वास उप दल की अनुशंसा प्राप्त की जायेगी।
- प्रत्येक राज्य में विस्थापितों की पुनर्वास संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिये निवारण प्राधिकरण का गठन किया जायेगा जिसकी अध्यक्षता, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेगें तथा बांध ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति देने के पूर्व नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष, शिकायत निवारण प्राधिकरण से भी परामर्श किया जायेगा।
- इसी प्रकार बांध ऊंचाई बढ़ाने के पूर्व पर्यावरण उप–दल, जो कि सचिव भारत शासन पर्यावरण मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित है, की भी स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त की जायेगी।
- हर संभव प्रयास किया जायेगा कि परियोजना का कार्य यथासंभव तेजी से पूर्ण किया जावे।

(ii) **WP No. 328/2002:-** वर्ष 2000 के उपरांत नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा वर्ष 2002 में पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपर्याप्त पुनर्वास की शिकायत लेकर याचिका क्रमांक डब्लू.पी. 328/2002 दायर की गई। जिस पर दिनांक 09–09–2002 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि "यदि

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

किसी विस्थापित को विस्थापन से जुड़ी कोई शिकायत है तो वह शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष अपने आवेदन प्रस्तुत करेगा एंव शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर समुचित निर्णय पारित किया जायेगा।

(iii) L.A. No. 4 and 7/2004 in WP No. 328/02 [2005(4)SCC-32]

इसके पश्चात् नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा वर्ष 2004–05 में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विस्थापितों की ओर से दो अंतरिम आवेदन L.A. No. 4 and I.A. No. 7/2004 in WP 328/02 प्रस्तुत किया गया, जिस पर पुनः उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 15–03–2005 को विस्तृत आदेश पारित किया गया। जिसमें मुख्यतः निम्न निर्देश किये गयेः–

(अ) विस्थापित परिवारों के पुनर्वास कार्य में स्थायी एवं अस्थायी डूब से प्रभावित परिवारों के मध्य कोई भेद नहीं किया जायेगा।

(ब) 25 प्रतिशत से अधिक भूमि प्रभावित परिवारों के वयस्क पुत्रों को भी वैकल्पिक भूमि आवंटन की पात्रता होगी।

(स) विस्थापितों को शासन लैण्ड बैंक से भूमि दी जायेगी एवं विस्थापित की पसंद की भूमि क्रय करने हेतु शासन बाध्य नहीं होगा।

(iv) WP No. 14765/02 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर :–

इसके पश्चात् वर्ष 2007 में नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा म.प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष सरदार सरोवर परियोजना बांध के पुनर्वास कार्यों में भ्रष्टाचार संबंधी आरोप लगाते हुए एक जनहित याचिका WP No. 14765/07 दायर की गई जिस पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 21–08–2008 को अंतरिम आदेश पारित करते हुए याचिका में उठाई गई भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच हेतु एक न्यायिक आयोग, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री एस.एस. झा की अध्यक्षता में, गठित किये जाने के आदेश दिये गये।

(v) L.A. No. 40-50/2014 in WP No. 328/02 :-

नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा वर्ष 2014 में प्रथम चरण की दी गई अनुमति का विरोध करने हेतु प्रथमतः म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका प्रस्तुत की गई जिसे अंततः उच्चतम न्यायालय ट्रांसफर किया गया एवं पुनः नर्मदा बचाओ आंदोलन ने कुछ विस्थापितों की ओर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रथम चरण के कार्य को दी गई अनुमति के विरोध में अंतरिम आवेदन प्रस्तुत किये गये जिस पर सुनवाई वर्ष 2014 से प्रचलित है।

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(vi) उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण की सुनवाई करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिये गये कि म.प्र. में विस्थापितों की लंबित शिकायतों के निराकरण के लिये उच्च न्यायालय के 5 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में शिकायत निवारण प्राधिकरण की 5 सदस्यों की एक बेंच गठित की जाये, जो वर्तमान में अस्तित्व में हैं।

(vii) उच्चतम न्यायालय में प्रचलित सुनवाई के दौरान दिनांक 31–12–2015 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों पर गठित माननीय झा आयोग द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपना मत दिया गया:-

(क) न्या. झा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दोषी ठहराये गये 186 दलालों के अलावा नर्मदा विकास प्राधिकरण के शासकीय अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने वित्तीय आंवटन का कार्य किया, राजस्व विभाग के पटवारी व अन्य रजिस्ट्री विभाग के कर्मचारी अधिकारी तथा बैंक अधिकारी, दस्तावेज लेखक, इन्हें भी संलिप्त किया गया है।

(ख) आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कुल 1560 रजिस्ट्रियां फर्जी हैं, (जबकि मध्य प्रदेश शासन 686 ही मंजूर करती थी) जिन्हें पाँच वर्गों में बांटा गया है।

i) ऐसी रजिस्ट्रियां, जिनके दस्तावेज रखने वाले, स्वयं को भूधारक बताने वाले विक्रेता फर्जी हैं।

ii) झूठे व्यक्ति ने शासकीय या अस्तित्व में ही न हो, ऐसी जमीन की रजिस्ट्री की। (इन दोनों वर्गों में आने वाली कुल रजिस्ट्रियों एवं विक्रय पत्रों की संख्या माननीय झा आयोग की रिपोर्ट अनुसार 999 हैं।)

ii) सही भूधारको से विक्रय पत्र पेश करवाये गये हैं, उनसे प्रत्यक्ष में किसी न किसी प्रकार के (खेती, कुंआ इत्यादि के लिए) कर्ज लेने के नाम से कागजों पर हस्ताक्षर करवाये गये हैं।

iv) कुछ विक्रेताओं से उनकी जमीन अंततः उनसे ली नहीं जाएगी, इस स्पष्ट समझाइश के साथ जमीन बेची गयी है। केवल विशेष पुनर्वास अनुदान (एस आर पी) की दूसरी किश्त निकालने के उद्देश्य से ही यह किया गया है, जो बोगस या झूठा हस्तांतरण है।

v) पांचवे वर्ग में ऐसी रजिस्ट्रियां आती है जिसमें जमीन विस्थापित को बेची जाकर फिर वहीं जमीन दूसरे विस्थापित को फिर से बेची गयी। यह प्रक्रिया जारी रहते हुए जमीन बाकी मूल भूधारक के पास उसके कब्जे में ही रह गयी।

रामेश्वर ओरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi